

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 383]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 जुलाई 2018—आषाढ़ 18, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधि. क्र. 21-एफ-32-2017-18-3.—

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2018

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 132 की उप-धारा (3), धारा 433 की उप-धारा के खण्ड (ग) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 127 की उप-धारा (3), धारा 355 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा के खण्ड (उन्नीस), (बीस) एवं (इक्कीस) तथा धारा 358 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश में स्थानीय निकाय के क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा उपबंधित किए जाने वाले मनोरंजन तथा आमोद पर कर के उदग्रहण के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश नगरपालिका (मनोरंजन एवं आमोद) कर नियम, 2018 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "मनोरंजन के लिए प्रवेश" में सम्मिलित हैं, ऐसे स्थान तक पहुंचना जहां मनोरंजन किया जाता है तथा केबल सेवा, डायरेक्ट टू होम सेवा (डीटीएच), दूरसंचार सेवा या किन्हीं अन्य तकनीकी साधनों या उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध मनोरंजन ;

- (ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, नियम 13 में उल्लिखित प्राधिकारी;
- (ग) "सकल टर्नओवर" से अभिप्रेत है, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्ति का समस्त करारोपित का सकल टर्नओवर, किंतु इसमें सम्मिलित नहीं होगा इन नियमों में उद्ग्रहीत कर तथा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(क्रमांक 19 सन् 2017) तथा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12)के अधीन उद्ग्रहीत कर ;
- (घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, स्थानीय निकायों द्वारा उद्ग्रहीत मनोरंजन और आमोद कर के उद्ग्रहण, संग्रहण एवं प्रशासन के लिए प्राधिकारी, जो निम्नानुसार होंगे :
- (एक) नगरपालिका की दशा में, मुख्य नगरपालिक अधिकारी ;
- (दो) नगरपालिक निगम की दशा में, आयुक्त ;

(ङ) "नैमित्तिक कराधीन व्यक्ति" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो प्रदर्शनी, सर्कस, संगीत कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताओं, स्टेज प्रस्तुतीकरण और इसी भाँति के किसी स्थानीय क्षेत्र में मनोरंजन या आमोद उपलब्ध कराने के व्यवसाय में बहुधा लगा हुआ है;

(च) "व्यक्ति" में सम्मिलित हैं कोई कम्पनी या संथा या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, कोई फर्म, कोई स्थानीय प्राधिकरण, कोई क्लब, कोई प्राधिकारी, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और कोई शासकीय उपक्रम तथा इसमें सम्मिलित हो तो ऐसे व्यक्ति के कारबार के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी या ऐसे व्यक्ति के कारबार के तत्समय प्रभार में कोई अन्य व्यक्ति ;

(छ) किसी कालावधि के संबंध में "टर्नओवर" से अभिप्रेत है, किसी निर्धारण कालावधि के दौरान स्थानीय क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए मनोरंजन और आमोद के संदर्भ में उससे प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने वाले आर्थिक प्रतिफल का संकलन।

- (2) उन समस्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 अथवा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे, जो इन अधिनियमों में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

3. कर का भार—

- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका सकल टर्नओवर इस नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान, स्थानीय क्षेत्र में पचास हजार रूपयों से अधिक है, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से, उक्त स्थानीय क्षेत्र में उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी मनोरंजन या आमोद के संबंध में इस नियमों के अधीन कर का संदाय करने का दायी होगा।
- (2) प्रत्येक व्यक्ति जो उप-धारा (1) के अधीन नहीं आता है, किसी स्थानीय क्षेत्र में उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी मनोरंजन या आमोद के संबंध में ऐसी तारीख से कर का भुगतान करने का दायी होगा जिसको कि उसका उस वर्ष में कुल टर्नओवर प्रथम बार पांच लाख रूपए से अधिक का हो किंतु उस वर्ष के कर के निर्धारण के प्रायोजन के लिए, उसके टर्नओवर को केवल उतना ही, जो पांच लाख रूपए से अधिक है, विचारण में लिया जाएगा ;

परन्तु यह कि नैमित्तिक कराधीन व्यक्ति की दशा में कर संदाय का दायित्व, उक्त स्थानीय क्षेत्र में उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी मनोरंजन, आमोद कारबार के पूर्ववर्ती बारह माहों के दौरान उसके कुल टर्नओवर को विचार में लाए बिना, कारबार के प्रारंभ होने की तारीख से प्रारंभ होगा।

4. कर का उद्ग्रहण.—

(1) मध्यप्रदेश के स्थानीय क्षेत्र में मनोरंजन और अमोद उपलब्ध करने वाले व्यक्ति से कुल टर्नओवर पर कर उद्ग्रहीत किया जाएगा और ऐसा कर उक्त स्थानीय निकाय की परिषद् द्वारा विनिश्चित दर पर देय होगा, किंतु ऐसा कर टर्नओवर का बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु स्थानीय निकाय की परिषद् विभिन्न मनोरंजन और अमोद हेतु विभिन्न कर की दर उद्ग्रहीत कर सकेंगी।

(2) यदि स्वामी (भागिक स्वामी को सम्मिलित करते हुए) से भिन्न कोई व्यक्ति कारबार के स्थान का तत्समय भारसाधक है तो ऐसे व्यक्ति और स्वामी (भागिक स्वामी को सम्मिलित करते हुए) इन नियमों के अधीन कर का संदाय संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से करने के दायित्वाधीन होंगे।

5. छूट देने की शक्ति.—

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को या किसी मनोरंजन या आमोद के आयोजन को अथवा मनोरंजन या आमोद की किसी श्रेणी को संपूर्ण या प्रभाव राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्रों को पूर्णतः या भागतः, भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से, छूट दे सकेंगी।

(2) किसी स्थानीय निकाय की परिषद्, राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् उसके स्थानीय क्षेत्र में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को या किसी मनोरंजन या आमोद के आयोजन को अथवा उपलब्ध कराए गए मनोरंजन या आमोद के किसी वर्ग को, पूर्णतः या भागतः, चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से भी छूट दे सकेंगी।

6 रजिस्ट्रीकरण.—

(1) इन नियमों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करेगा:

परन्तु किसी स्थानीय निकाय की परिषद् का वह व्यक्ति जो मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) या वह जो कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकरण के रूप में माना गया विनिश्चित किया जा सकेगा तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी नवीन आवेदन को फाइल करने की अपेक्षा किए बिना, इस आधार पर ऐसे व्यक्ति को नया रजिस्ट्रीकरण नम्बर तथा

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र आबंटित कर सकेगा अथवा इन नियमों के प्रयोजन के लिए समुचित उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर, जैसा वह ठीक समझे, उक्त रजिस्ट्रीकरण नम्बर को निरंतर करने का विनिश्चय कर सकेगी।

(2) उप-नियम (1) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को अभिप्राप्त करने हेतु इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अथवा यदि वह उस तारीख को कारबार नहीं कर रहा था तो उसके कर संदाय के लिए दायी होने से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए प्ररूप-एक में आवेदन करेगा:

परंतु ऐसा व्यक्ति जिसका कारबार एक से अधिक स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर है, तो वह कारबार के प्रत्येक स्थान के लिए ऐसी प्रत्येक स्थानीय निकाय से पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदन करेगा :

परंतु यह और कि यहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने हेतु कोई फीस नहीं होगी।

(3) जहां उप-नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके लिए आवेदन करने में असफल रहता है, वहां समुचित प्राधिकारी, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कर और शास्ति के अतिरिक्त, न्यूनतम पांच सौ रूपये के अध्यक्षीन रहते हुए, उसे पांच हजार रूपये से अनधिक की राशि, जो शास्ति के रूप में अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रूप में किए जाने वाले निर्धारण में उस पर उद्ग्रहणीय हो, संदत करने का निर्देश दे सकेगा।

(4) नैमित्तिक कराधान व्यक्ति, स्थानीय क्षेत्र में कारबार के प्रारंभ करने के पूर्व प्ररूप-एक में आवेदन करके, उक्त कालावधि के लिए उसके प्राक्कलित कर दायित्व का अग्रिम भुगतान करके एक अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा, जिसके लिए वह उस स्थानीय क्षेत्र में कारबार करना चाहता है।

7 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की मंजूरी.-

(1) यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाया जाता है कि, आवेदन ठीक-ठाक नहीं है या समस्त आवश्यक विशिष्टियां नहीं दी गई हैं तो वह ऐसी अतिरिक्त जानकारी जैसी कि आवश्यक समझी जाए, उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करेगा।

(2) अतिरिक्त जानकारी पर विचार करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी, का यदि समाधान हो जाता है कि आवेदन व्यवस्थित है तथा आवश्यक विशिष्टियां उपलब्ध की गई है तो उसे प्ररूप-दो में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर किया जाएगा।

(3) नियम 6 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर किए गए आवेदन पर मंजूर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, दायित्व की तारीख से विधिमान्य होगा। ऐसी कालावधि

के पश्चात् किए आवेदन पर कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र आवेदन की तारीख से विधिमान्य होगा।

- (4) किसी नैमित्तिक कराधीन व्यक्ति को प्ररूप-दो में अस्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी कालावधि के लिए जारी किया जाएगा जिसके लिए वह उस स्थानीय क्षेत्र में कारबार करना चाहता है:

परन्तु इस उप-नियम में रजिस्ट्रीकरण की कालावधि, उसे मंजूर किए गए अस्थाई रजिस्ट्रीकरण की वैधता के अवसान होने की कालावधि से कम से कम 3 कार्यलयीन दिनों के पूर्व फाइल किए गए उक्त व्यक्ति के आवेदन पर बढ़ाई जा सकेगा।

8. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना.—

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप-तीन में ऐसे आवेदन पर, कि उसका कारबार बंद अथवा अंतरित हो गया है या सक्षम प्राधिकारी स्वप्रेरणा से पाता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उसका कारबार बंद या अंतरित कर दिया है ; या

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर कि उसके कर के संदाय का दायित्व समाप्त हो गया है या सक्षम प्राधिकारी स्वप्रेरण से यह पाता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी का, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में टर्नओवर विहित सीमा से अधिक नहीं है; या

(ग) सक्षम प्राधिकारी स्वप्रेरणा से यह पाता है कि कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र किसी व्यक्ति को उसके द्वारा गलत जानकारी दिए जाने के आधार पर मंजूर हो गया है ; या

(घ) सक्षम प्राधिकारी स्वप्रेरणा से यह पाता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर इन नियमों के अधीन कर या शास्ति या देय कोई अन्य राशि के बकाया है, जो एक लाख रूपए से अधिक है तथा जो छह माह से अधिक समय से बकाया शेष है ; या

(ङ) सक्षम प्राधिकारी स्वप्रेरणा से यह पाता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रमाण-पत्र अभिलिखित कारणों से रद्द होना चाहिए, तो सक्षम प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर सकेगा:

परन्तु जहां कोई सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द करने की प्रक्रिया करता है, तो वह उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

9 कर का भुगतान.—

(1) इन नियमों के अधीन देय कर का संदाय, प्ररूप-चार में चालान द्वारा स्थानीय निकाय के खाते में किया जाएगा।

(2) इंटरनेट के माध्यम से भुगतान की ई-रसीद प्ररूप-पांच में दी जाएगी।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो सामान्यतः पंद्रह हजार रूपए प्रति तिमाही, या साठ हजार रूपए प्रति वर्ष या अधिक कर के भुगतान का दायी है, वह तिमाही के प्रथम और द्वितीय माह के लिए कर माह के अवसान के 10 दिन के भीतर भुगतान करेगा और कर की शेष रकम को उस तिमाही की विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख पर या उससे पूर्व भुगतान करेगा।

(4) जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-नियम (3) के अंतर्गत नहीं आता है वह प्रत्येक तिमाही के लिए उस तिमाही की विवरणी फाइल करने के लिए अंतिम तारीख पर या उससे पूर्व कर का भुगतान करने का दायी होगा।

(5) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति राज्य सरकार या उसके किसी विभाग का है, वहां इन नियमों के अधीन देय कर या कोई अन्य रकम बैंक (Book) समायोजन द्वारा भुगतान की जा सकेगी।

(6) कर के भुगतान में किसी विलंब या व्यतिक्रम की दशा में ब्याज उस तारीख से प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर से जो उस कर के भुगतान की तारीख को देय है अथवा निर्धारण के आदेश की तारीख से, जो भी पूर्ववर्ती है भुगतान किया जाएगा।

10 विवरणियां प्रस्तुत करना.—

(1) नियम 3 के अधीन कर का भुगतान करने का दायी प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप-चार में वर्ष का प्रत्येक तिमाही के लिए ऐसी तिमाही के अवसान के तीस दिनों के भीतर विवरणी प्रस्तुत करेगा। विवरणी के साथ उस तिमाही के लिए भुगतान किए गए कर के भुगतान की चालान की एक प्रति संलग्न होगी:

परन्तु यह कि इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से प्रारंभ होने वाली कालावधि के लिए विवरणी तथा ऐसी तिमाही जिसमें ये नियम प्रभावशील हुए हैं, के अंतिम दिन की समाप्ति तक के लिए विवरणी उक्त तिमाही के अवसान के तीस दिनों की कालावधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उप-नियम (1) के अधीन विवरणी को फाइल करने में व्यतिक्रम करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रतिदिन पचास रूपए, जो प्रत्येक विवरणी के लिए अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यक्षीन होगी, की शास्ति के लिए दायी होगा।

(3) विवरणी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने की दशा में विवरणी का सत्यापन प्ररूप-सात में भरा जाएगा।

11. वार्षिक विवरणी तथा कर संपरीक्षा रिपोर्ट फाइल करना.—

यदि इन नियमों के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) के अधीन भी रजिस्ट्रीकृत है, तो वह वार्षिक

विवरणी की एक प्रति प्रस्तुत करेगा और उस पर, धारा 44 के अनुसार उसके द्वारा प्रस्तुत संपरीक्षा रिपोर्ट और यदि उक्त वार्षिक विवरणी तथा संपरीक्षा रिपोर्ट में स्थानीय क्षेत्र से भिन्न से संबंधित टर्नओवर भी अंतर्विष्ट है तो वह स्थानीय क्षेत्र में टर्नओवर का एक संक्षिप्त कथन, उक्त संपरीक्षा रिपोर्ट पर संपरीक्षक के हस्ताक्षर द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित कर प्रस्तुत करेगा।

12. निर्धारण.—

(1) इन नियमों के अधीन निर्धारण, पुनर्निर्धारण तथा कर के संग्रहण की शक्ति सक्षम प्राधिकारी में निहित होगी।

(2) यदि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा समस्त विहित विवरणियां फाइल गई हैं तथा उक्त विवरणियों के अनुसार कर के देय का भुगतान कर दिया है तथा उसके द्वारा वार्षिक विवरणी भी फाइल की गई है और उसके द्वारा मध्यप्रदेश माल तथा सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन अपेक्षित संपरीक्षा रिपोर्ट फाइल की गई है तो वह उसके द्वारा फाइल की गई विवरणियों के आधार पर निर्धारण किया गया समझा जाएगा।

(3) यदि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-नियम (2) के अधीन निर्धारण किया गया समझा गया है तो उसे प्ररूप-आठ में सूचना भेजी जाएगी।

(4) यदि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए विवरणियों के अनुसार देय कोई कर, ब्याज या शास्ति का कोई भुगतान कम किया गया है, तो समुचित प्राधिकारी द्वारा प्ररूप-नौ में नियमित निर्धारण के लिए उसे एक सूचना जारी की जाएगी।

(5) उप-नियम (2) के उपबंधों के होते हुए भी, यदि समुचित प्राधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा फाइल की गई विवरणियों की संवीक्षा पर, उचित समझता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को नियमित निर्धारण के लिए प्ररूप-नौ में एक सूचना जारी कर सकता है।

(6) यदि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति,—

(क) किसी कालावधि के संबंध में विहित तारीख में विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता है ;
या

(ख) किसी कालावधि के लिए, जानबूझकर अधूरी या गलत विवरणियां प्रस्तुत करता है ; या

(ग) (एक) किन्ही खातों को संधारित नहीं करता है, या

(दो) उसके द्वारा संधारित खाते नियम 17, 18, 19 या 20 जैसे लागू किए जाएं के उपबंधों के अनुसार नहीं हैं, या

(तीन) लेखा रखने के लिए कोई नियमित पद्धति नहीं अपनाई है; या

(चार) लागू की गई पद्धति ऐसी है जो सक्षम प्राधिकारी की राय में ऐसी है जिसके आधार पर, उचित रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता है तो समुचित प्राधिकारी प्ररूप-नौ में, सूचना जारी करने के पश्चात् उक्त व्यक्ति का निर्धारण उसके सर्वोत्तम निर्णय से करेगा।

(7) निर्धारण आदेश, प्ररूप-दस में संबंधित वित्तीय वर्ष के अवसान से एक कैलेण्डर की कालावधि के भीतर जारी किया जाएगा।

(8) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक् से निर्धारण किया जाएगा।

(9) किसी नैमित्तिक कराधीन व्यक्ति का निर्धारण, उस स्थानीय क्षेत्र में उसके द्वारा कारबार को बंद करने की तारीख से अथवा उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के रद्दीकरण से, जो भी पूर्ववर्ती है, पंद्रह दिनों की कालावधि के भीतर किया जाएगा।

(10) यदि कोई व्यक्ति जो कर के भुगतान का दायी है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, तो उसे प्ररूप-नौ में एक अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रूप में निर्धारण किए जाने हेतु एक सूचना जारी की जाएगी:

परन्तु यह कि, इस उप-नियम के अधीन कोई सूचना, ऐसी सूचना के जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की पूर्ववर्ती किसी कालावधि के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रूप में निर्धारण के लिए जारी नहीं की जाएगी।

13. अपील.—

(1) सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश के व्यथित कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायाधीश, वर्ग-एक को और यदि नगरपालिका के मुख्यालय पर कोई सिविल न्यायाधीश, वर्ग-एक नहीं है तो ऐसे मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायाधीश, वर्ग-दो को, यदि मुख्यालय पर ऐसा सिविल न्यायाधीश वर्ग-दो नहीं है तो मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायाधीश को और किसी दशा में मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाले ऐसे सिविल न्यायाधीश एक से अधिक हैं तो, यथास्थिति, उनमें से ऐसे सिविल न्यायाधीश को जिसे जिला न्यायाधीश विनिर्दिष्ट करे, उक्त आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील फाइल कर सकेगा:

परन्तु, जहां स्थानीय क्षेत्र नगर निगम है, वहां इस उप-नियम के अधीन अपील अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में ग्राह्य होगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक ग्राह्य नहीं होगी, जबतक कि कुल अतिशेष में से, उक्त आदेश के अनुसार देय हेतु ग्राह्य की गई

रकम तथा शेष रकम के पच्चीस प्रतिशत का भुगतान नहीं कर दिया है तथा अपील का ज्ञापन ऐसी रकम के भुगतान के संतोषजनक सबूत के साथ संलग्न नहीं है।

(3) उप-नियम (2) के अनुसार रकम के भुगतान पर मांगी गई अतिशेष की वापसी तब तक रोकी जाएगी जब तक कि अपील के फाइल करने वाली तारीख से 12 कैलेण्डर माह की कालावधि के भीतर अपील का निपटारा नहीं हो जाता है।

(4) उप-नियम (1) के अधीन की गई किसी अपील का विनिश्चय, साधारण: ग्राह्य अपील में उक्त विनिश्चय के विरुद्ध जिसकी अपील न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में विनिश्चय के अध्यक्षीन रहते हुए, अंतिम होगा।

(5) कर का लेखा या अन्यथा पर इन नियमों के अधीन किसी व्यक्ति से दावा की गई प्रत्येक राशि की रकम, यदि कोई है, उप-नियम (1) या उप-नियम (4) के अधीन प्रदत्त की गई अपील या पुनरीक्षण में विनिश्चय और उसके अध्यक्षीन रहते हुए, अंतिम होगी।

(6) परिषद् द्वारा किसी दावे के विरुद्ध किसी अपील या पुनरीक्षण में प्रत्येक विनिश्चय को प्रभाव में लाया जाएगा।

14. कर, ब्याज, शास्ति या अन्य शोध्यों की वसूली.—

(1) निर्धारण या पुनर्निर्धारण आदेश के अनुसार देय कर, ब्याज या शास्ति की रकम का निर्धारण या पुनर्निर्धारण, आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।

(2) जहां प्रथम अपील या किसी द्वितीय अपील के ग्राह्य होने पर अपीलीय प्राधिकारी कर, ब्याज या शास्ति की किसी रकम की वसूली पर रोक लगाता है, और ऐसी अपील में किसी विनिश्चय पर, यदि ऐसे कर, ब्याज या शास्ति की रोकी गई रकम, पूर्णतः अथवा भागतः संधारित की जाती है तो व्यक्ति अपील में विनिश्चय के पश्चात् उस भुगतान की तारीख से जिस पर ऐसी रकम की वसूली को रोक दिया था, ऐसी रकम की वसूली को रोक दिया था, ऐसी रकम पर प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान का दायी होगा।

(3) जब कोई व्यक्ति कर, ब्याज या शास्ति की किसी रकम का भुगतान करने में असफल हो जाता है, तो वह संपत्ति कर के अतिशेष के रूप में वसूलनीय होगा तथा संपत्ति कर की वसूली से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे।

15. शास्ति का उद्ग्रहण.—

(1) यदि समुचित प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी इन नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने उसके टर्नओवर को छुपाया है या उसकी विवरणी या किसी वर्ष या उसके भाग की विवरणियों में टर्नओवर की विशिष्टियां गलत दी गई हैं तो, यथास्थिति, समुचित प्राधिकारी या

अपीलीय प्राधिकारी इन नियमों के अधीन शास्ति के अधिरोपण की कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन कार्यवाही, यथास्थिति, समुचित प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देते हुए प्ररूप-नौ में एक सूचना के जारी कर प्रारंभ की जाएगी।

(3) व्यक्ति की सुनवाई पर, यथास्थिति, समुचित प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी व्यक्ति को निर्देशित करते हुए, ऐसी कार्यवाही को प्रारंभ करने की तारीख से एक कैलेण्डर वर्ष से अनधिक एक आदेश पारित करेगा कि वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त ऐसी राशि को शास्ति के रूप में भुगतान करे जो कर अपवंचन का तीन गुना से कम का नहीं होगी किन्तु 3.5 गुना से अधिक नहीं होगा।

(4) वह व्यक्ति जिस पर उप-नियम (3) के अधीन कोई शास्ति उद्ग्रहीत की गई है, वह शास्ति के बदले में एक मुश्त रकम के भुगतान का चयन कर सकेगा जो कर अपवंचन की रकम का दो गुना होगा और एक बार व्यक्ति द्वारा समझौते के विकल्प का प्रयोग कर लेने पर उसे शास्ति के आदेश को किसी फोरम में चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।

16. शक्तियों एवं कर्तव्यों का प्रत्यायोजन.—

स्थानीय निकाय परिषद् अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियों को छोड़कर स्थानीय निकाय के किसी अधिकारी को इन नियमों के अधीन मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार किन्ही शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रत्यायोजित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

17. किसी सिनेमा हॉल द्वारा लेखाओं का संधारण.—

(1) सिनेमा हॉल के संबंध में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति निम्नलिखित अभिलेखों का संधारण करेगा:

(क) प्ररूप-ग्यारह में बैठक क्षमता तथा उसके लिए प्रभार की जानकारी;

(ख) प्ररूप-बारह में अधिभोग तथा कर के संग्रहण का दैनिक लेखा ; और

(ग) प्ररूप-तेरह में संग्रहण तथा कर के भुगतान का मासिक रूप में संक्षिप्त सार।

(2) ऐसा व्यक्ति उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्ररूपों के लिए पृथक्-पृथक् बंधे हुए रजिस्टर संधारित करेगा।

18. केवल संचालकों द्वारा लेखाओं का संधारण.—

(1)केबल सेवा के लिए रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति निम्नलिखित अभिलेखों का संधारण करेगा:

(क) प्ररूप—चौदह में, द्वितीय प्रति में अभिदाता का कार्ड। अभिदाता की पहली प्रति अभिदाता को जारी की जाएगी और द्वितीय प्रति उसके द्वारा उसके अभिलेख में रखी जाएगी;

(ख) प्ररूप—पंद्रह में अभिदाता, सेवा प्रदाता तथा उसके लिए प्रभार के विवरण का एक रजिस्टर;

(ग) संग्रहण तथा कर के भुगतान का प्ररूप—सोलह में मासिक संक्षिप्त सार।

(2) ऐसा व्यक्ति उप—नियम (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में संधारित किए गए अभिलेखों के लिए पृथक्—पृथक् बंधे रजिस्टर संधारित किए जाएंगे।

19. डी टी एच सेवा प्रदाता द्वारा लेखाओं का संधारण.—

(1) डी टी एच सेवाओं को उपलब्ध करने के लिए प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिदाताओं के कार्ड को द्वितीय प्रति में, प्ररूप—चौदह में तैयार करेगा। उसकी प्रथम प्रति अभिदाता को जारी की जाएगी तथा दूसरी प्रति उक्त व्यक्ति द्वारा उसके अभिलेख के लिए रखी जाएगी।

(2) ऐसा व्यक्ति इन नियमों के अधीन समुचित प्राधिकारी को प्रथम तिमाही के रूप में प्ररूप—सतरह में जानकारी को विवरणी के साथ भेजेगा। जानकारी में किसी परिवर्तन की दशा में, ऐसा व्यक्ति परिवर्तन को 30 दिन के भीतर समुचित प्राधिकारी को प्ररूप—सतरह में पुनरीक्षित जानकारी भेजेगा।

(3) डी टी एच सेवा उपलब्ध करने हेतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति संधारित करेगा—

(क) प्ररूप—अठारह में, अभिदाता, सेवा प्रदाता और उसके लिए सेवा प्रभार के विवरणों का एक रजिस्टर।

(ख) प्ररूप—उन्नीस में संग्रहण तथा कर के भुगतान का मासिक संक्षिप्त सार।

(4) उप—नियम (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्ररूपों के लिए पृथक् बंधा हुआ रजिस्टर संधारित किया जाएगा।

20. टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा लेखाओं का संधारण.—

(1) टेलीकॉम सेवाओं को उपलब्ध करने के लिए रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति समुचित प्राधिकारी को इन नियमों के अधीन प्ररूप—बीस में, प्रथम तिमाही की विवरणी के साथ जानकारी भेजेगा। किस सूचना में परिवर्तन की दशा में, उक्त व्यक्ति,

ऐसे परिवर्तन के 30 दिन के भीतर अवस्थित समुचित प्राधिकारी को प्ररूप-बीस में पुनरीक्षित जानकारी भेजेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति संधारित करेगा—

(क) प्ररूप-इक्कीस में, अभिदाता, सेवा प्रदाता तथा उनके परिवर्तन के विवरणों को अंतर्विष्ट किए जाने वाला एक रजिस्टर;

(ख) प्ररूप-बाइस में, संग्रहण तथा कर के भुगतान का मासिक संक्षिप्त सार।

(3) ऐसा व्यक्ति उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट किए प्रत्येक प्ररूप के लिए एक पृथक् बंधा रजिस्टर संधारित करेगा।

21. इलेक्ट्रानिक प्ररूप में अभिलेखों का संधारण.—

किसी स्थानीय निकाय की नगरपालिका परिषद् किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के समुह को नियम 17, 18, 19 या 20 में विहित, यथास्थिति, समस्त या किन्हीं अभिलेखों को इलेक्ट्रानिक रूप में संधारित करने की अनुज्ञा दे सकेगी। परन्तु उसमें इन नियमों में यथा आवश्यक समस्त अपेक्षित जानकारी अंतर्विष्ट होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

प्ररूप--एक

(नियम 6 (2) एवं 6 (4) देखिए)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र/अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की मंजूरी हेतु आवेदन
प्रति,

.....(पदनाम)

.....

.....

कार्यालय उपयोग
हेतु आबंटित टिन

मैं अनुरोध करता हूँ कि मध्यप्रदेश स्थानीय निकाय कर नियम, 2017 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण मंजूर तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/*अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिनांक.....से दिनांक.....तक की अवधि के लिए मेरी संस्था/फर्म के नाम.....जारी करें।

* जो लागू न हो उसे काट दे.

मेरी फर्म/संस्था के नीचे विवरण अनुसार हैं:-

भाग-क: मूलभूत जानकारी

1. फर्म/संस्था का नाम	
2. फर्म/संस्था का पूरा पता	मकान नं. गली/कॉम्प्लेक्स: ग्राम/मोहल्ला: जिला: पिन: दूरभाष क्र: (कार्यालय) मोबाइल नं. ई-मेल: वेबसाइट/यू आर एल:
3. फर्म/संस्था का प्रास्थिति	कस्बा/शहर: वार्ड क्रमांक: लैंडमार्क: (निवासा) फैक्स नं. क- प्रोपराईटरशिप ख- पार्टनरशिप ग- प्रायवेट लिमिटेड घ- लिमिटेड कंपनी ङ- राज्य सरकार विभाग च- राज्य सरकार का उपक्रम छ- केन्द्रीय सरकार विभाग ज- केन्द्रीय सरकार का उपक्रम झ- सहकारी समिति ञ- हिन्दू अविभक्त परिवार ट- कोई अन्य (वर्णित ब्यौरे)

4. व्यवसाय के प्रमुख स्थान का पूरा पता
- मकान नं.
गली/कॉम्प्लेक्स:
ग्राम/मोहल्ला:
जिला:
पिन:
दूरभाष क्र. (कार्यालय)
मोबाइल नं.
ई-मेल
वेबसाइट/यू आर एल:
- कस्बा/शहर:
वार्ड क्रमांक:
लैंड मार्क:
निवास:
फेक्स नं.
5. व्यवसाय की प्रकृति
6. व्यवसायक के प्रमुख स्थान पर मुख्य गतिविधि
7. आवेदक का पूरा नाम
8. आवेदक के पिता का नाम
9. फर्म/संस्था आवेदक की प्रास्थिति
10. आवेदक का स्थानीय पता
- मकान नं.
गली/कॉम्प्लेक्स:
ग्राम/मोहल्ला:
जिला:
पिन:
दूरभाष क्र. (कार्यालय)
मोबाइल नं.
ई-मेल
वेबसाइट/यू आर एल:
- कस्बा/शहर:
वार्ड क्रमांक:
लैंड मार्क:
निवास:
फेक्स नं.
11. आवेदक का स्थाई पता
- मकान नं.
गली/कॉम्प्लेक्स:
ग्राम/मोहल्ला:
जिला:
पिन:
दूरभाष क्र. (कार्यालय)
मोबाइल नं.
ई-मेल
वेबसाइट/यू आर एल:
- कस्बा/शहर:
वार्ड क्रमांक:
लैंडमार्क:
निवास:
फेक्स नं.
12. आवेदक का पैन नंबर

भाग-ख: व्यवसाय

<ol style="list-style-type: none"> 1. व्यवसाय के प्रारंभ की तारीख 2. प्रचालन के प्रथम लेन-देन की तारीख 3. यदि प्रचालन प्रारंभ नहीं हुआ है, तो प्रारंभ की संभावित तारीख 4. आज की तारीख तक कुल प्राप्तियां (वित्तीय वर्ष अनुसार) 5. नियमों के अंतर्गत कर भुगतान करने की तारीख 6. गतिविधि का विवरण 7. गतिविधि के अनुसार स्थानों की प्रास्थिति के ब्यौरे: <table style="margin-left: 20px; width: 80%;"> <tr> <td>मकान नं.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>गली/कॉम्प्लेक्स:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ग्राम/मोहल्ला:</td> <td>कस्बा / शहर:</td> </tr> <tr> <td>जिला:</td> <td>वार्ड क्रमांक:</td> </tr> <tr> <td>पिन:</td> <td>लैंडमार्क:</td> </tr> <tr> <td>दूरभाष क्र. (कार्यालय)</td> <td>निवास:</td> </tr> <tr> <td>मोबाइल नं.</td> <td>फेक्स नं.</td> </tr> <tr> <td>ई-मेल</td> <td></td> </tr> <tr> <td>वेबसाइट/यू आर एल:</td> <td></td> </tr> </table> 	मकान नं.		गली/कॉम्प्लेक्स:		ग्राम/मोहल्ला:	कस्बा / शहर:	जिला:	वार्ड क्रमांक:	पिन:	लैंडमार्क:	दूरभाष क्र. (कार्यालय)	निवास:	मोबाइल नं.	फेक्स नं.	ई-मेल		वेबसाइट/यू आर एल:		
मकान नं.																			
गली/कॉम्प्लेक्स:																			
ग्राम/मोहल्ला:	कस्बा / शहर:																		
जिला:	वार्ड क्रमांक:																		
पिन:	लैंडमार्क:																		
दूरभाष क्र. (कार्यालय)	निवास:																		
मोबाइल नं.	फेक्स नं.																		
ई-मेल																			
वेबसाइट/यू आर एल:																			
<ol style="list-style-type: none"> 8. व्यवसाय में पूंजी निवेश 9. निवेश का स्रोत 10. व्यवसाय के पूर्व स्वामी के ब्यौरे, यदि कोई हों 																			

भाग-ग: फर्म/संस्था के प्रोपराईटर/पार्टनर्स/डायरेक्टर्स/को-पार्टनर के ब्यौरे

नाम एवं पिता का नाम	प्रास्थिति (प्रोपराईटर/पार्टनर/डायरेक्टर्स...)	आयु	दूरभाष क्रमांक सहित स्थानीय पता	दूरभाष क्रमांक सहित स्थाई पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

व्याज की सीमा	पैन नं. (यदि कोई हो)	पासपोर्ट क्रमांक	ड्रायविंग लाइसेंस नं.	वोटर आई.डी नं.	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर, (11) में हस्ताक्षर को प्रमाणित करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता	कॉलम
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	

भाग-घ: फर्म/संस्था के प्रॉपराइटर्स/पार्टनर्स/डायरेक्टर्स/को-पार्टनर के सत्यापित
फोटोग्राफ्स

नाम	नाम	नाम	नाम	नाम	नाम
फोटो	फोटो	फोटो	फोटो	फोटो	फोटो
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर

भाग-ङ : बैंक खातों के विवरण

खाता क्रमांक	खाते का प्रकार	बैंक का नाम एवं शाखा का पूरा पता
--------------	----------------	----------------------------------

भाग-च : व्यवसाय के अतिरिक्त स्थानों के ब्यौरे.

मध्यप्रदेश के भीतर	मध्यप्रदेश के बाहर
--------------------	--------------------

भाग-छ : अन्य विभागों के साथ रजिस्ट्रीकरण/लाइसेंस के ब्यौरे.

विभाग का नाम	रजिस्ट्रीकरण/लाइसेंस नंबर	विधिमान्यता की तारीख
--------------	---------------------------	----------------------

भाग-ज : राज्य के भीतर कुछ अन्य व्यवसाय में संपित और ब्याज के ब्यौरे.

प्रोपराइटर/पार्टनर/ अन्य व्यक्तियों के नाम	रजिस्ट्री नं./रजिस्ट्री तारीख	कार्यालय पता	टिन के साथ अन्य व्यवसाय एवं उसमें हिस्सेदार की सीमा के ब्यौरे

भाग-झ : राज्य के बाहर कुछ अन्य व्यवसाय में संपित तथा ब्याज के ब्यौरे.

प्रोपराइटर/पार्टनर/ अन्य व्यक्तियों के नाम	पूर्ण पते एवं कीमत के साथ निजी संपत्ति के ब्यौरे	रजिस्ट्री नं./तारीख	रजिस्ट्री कार्यालय (पता)	टिन के साथ अन्य व्यवसाय एवं उसमें हिस्सेदार की सीमा के ब्यौरे

भाग-ञ : विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधकों के ब्यौरे.

गतिविधियां/अवस्थिति	प्रबंधक का नाम एवं पिता का नाम	पता एवं दूरभाष क्रमांक	हस्ताक्षर

घोषणा

मैं.....(नाम) इस व्यावसायिक फर्म के.....नाते यह आवेदन करते हुए एतद्वारा यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी एवं विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास में सत्य एवं सही है।

स्थान.....

तारीख.....

.....
हस्ताक्षर

भाग-ट : इन नियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापन

(1) मैं.....आत्मज श्री.....इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मेसर्स.
..... टिन नं.....एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि, मैं इस आवेदन के
आवेदनकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ एवं मुझे विश्वास है कि इसके आवेदन में दी गयी
विशिष्टियां सत्य एवं सही हैं।

स्थान.....

तारीख.....

(2) मैं.....आत्मज श्री.....इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मेसर्स..
..... टिन नं.....एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि, मैं इस आवेदन के
आवेदनकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ एवं मुझे विश्वास है कि इनके आवेदन में दी गई
विशिष्टियां सत्य एवं सही हैं।

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर

संलग्नकों की जांच सूची

- ❖ को-ऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ
एसोसिएशन/रजिस्ट्रीकरण की छायाप्रति।
- ❖ समस्त सह आवेदकों की फोटोग्राफ।
- ❖ दो टिन धारक व्यक्तियों का सत्यापन।
- ❖ व्यवसाय के स्थान के किरायेदारी /पट्टा अनुबंध की छायाप्रति।
- ❖ अन्य विभाग के साथ लाइसेन्स/प्रमाण-पत्र /रजिस्ट्रीकरण की छायाप्रति।

अभिस्वीकृति

प्रारूप तीन में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अस्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की मंजूरी के लिए
की अवधि के लिए दिनांक.....से, दिनांक.....तक, मध्यप्रदेश स्थानीय निकाय
कर नियम, 2017 के नियम 6 के अंतर्गत श्री.....का आवेदन प्राप्त किया।

मुहर

स्थान.....

तारीख.....

.....
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

एमप्लाई आई.डी.

प्ररूप-दो

(नियम 7 (1) एवं 7 (3) देखिए)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

दिन

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स.....जिनका प्रमुख व्यवसायिक स्थान.....
.....में अवस्थित है (पता), का रजिस्ट्रीकरण मध्यप्रदेश स्थानीय निकाय कर नियम, 2017
के अंतर्गत दिनांक.....से दिनांक.....तक प्रभावशील होगा।
2. व्यवसाय की प्रकृति :
 - (1) मनोरंजन उपलब्ध कराने वाली गतिविधि
 - (2) आमोद उपलब्ध कराने वाली गतिविधि
3. *यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के दिनों की विधिमान्य की अवधि के लिए.....विधिमान्य
होगा, जबतक कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आवेदन पर बढ़ाई गई आगामी अवधि के लिए
विधिमान्यता की अवधि

मुहर

तारीख.....

*जो लागू न हों काट दें।

हस्ताक्षर:--.....

पदनाम:--.....

प्ररूप-तीन

(नियम 8 (क) देखिए)

रजिस्ट्रीकरण के निरस्तीकरण हेतु आवेदन

मैं.....प्रोपराईटर / *मैनेजर / पार्टनर / संचालक / प्रभारी अधिकारी इस व्यवसाय कोधारक को.....रूप में जाना जाएगा जिसका टिन नं..... मध्यप्रदेश स्थानीय निकाय कर नियम, 2018 के अंतर्गत एतद्वारा यह कथन करता हूं :
*(क) मैं यह व्यवसाय दिनांक.....से बंद करता हूं।

या

* मैंने अपना संपूर्ण व्यवसाय दिनांक.....से मेसर्स.....पता..... टिन धारक को (यदि कोई हो).....हस्तांतरित कर दिया है।

* (ख) वर्तमान वर्ष के पूर्ववर्ती लगातार दो वर्ष साथ में वर्तमान वर्ष (आवेदन की दिनांक तक) का मेरा सकल टर्न ओवर का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	सकल ट-ओवर
1.
2.
3. वर्तमान वर्ष

जो विहित देयक सीमा के नीचे है

अतएव, मैं उक्त नियमों के नियम 8 के खण्ड (क) / * खण्ड (ख) के अंतर्गत मेरे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण हेतु आवेदन करता हूं।

(2)*जैसा कि मेरे द्वारा व्यवसाय बंद किया जा चुका है या मैंने संपूर्ण व्यवसाय हस्तांतरित या कर भुगतान देयक करने के लिए समाप्त कर दिया है, मैं एतद्वारा मेरे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के साथ मैं प्रमाणित छायाप्रति निरस्तीकरण के लिए संलग्न करता हूं।

संलग्न :- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के साथ उसकी सत्यापित प्रतियां

स्थान :-.....

तारीख :-.....

.....
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

*जो लागू न हों उसे काट दें।

प्ररूप-चार
(नियम 9 (1) देखिए)
चालान
मध्यप्रदेश स्थानीय निकाय कर नियम, 2018

(गनोरंजन कर

कर का चालान/शास्ति/ब्याज भुगतान करने..... अंतर्गत रु. (शब्दों में).....

किसके द्वारा प्रस्तुत	उस व्यक्ति का नाम एवं पता जिसके निमित्त रकम का भुगतान किया जाना है एवं टिन (यदि कोई हो)	खाते का भुगतान	रकम (अंको में अंकित होगी)
(1)	(2)	(3)	(4)
(क) विवरणी के अनुसार कर जिसकी अवधि की दिनांक से तक (ख) निर्धारण वर्ष के पश्चात् कर की मांग प्रकरण क्रं निर्धारण द्वारा (ग) ब्याज (घ) शास्ति (ङ) विविध कुल रूपए (अंको में)			
कुल रु. (शब्दों में)		

स्थान

तारीख

जमाकर्ता के हस्ताक्षर

कोषालय या बैंक के उपयोग हेतु		
1. रु. (अंको में)	(शब्दों में) प्राप्त भुगतान	
2. प्रविष्टि की तारीख	चालान क्रमांक	
खजांची	लेखापाल	कोषालय अधिकारी/अभिकर्ता या प्रबंधक

प्ररूप—पांच
(नियम 9 (2) देखिए)
ई—प्राप्ति
कर का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान

टिन	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम:
(कर भुगतानकर्ता पहचान नं.) :	पता :
बैंक का नाम एवं कोड :	निर्धारण वर्ष :
चालान नंबर :	ब्रांच का नाम एवं कोड :
निर्धारण/संबंधित अवधि :	लेन-देन का तारीख:
रकम (अंको में) :	लेन-देन का समय :
सी आई एन नं.(चालान पहचान नं.) :	भुगतान का उद्देश्य :
बैंक रिफरेन्स संख्या :	रकम (शब्दों में) :

प्ररूप-छह
(नियम 10 (1) देखिए)
विवरण

प्राप्तकर्ता बलक के हस्ताक्षर

भाग क :-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के ब्यारे

(मूल / पुनरीक्षित)

नाम एवं पता
(मुहर लगाए)
टिल
अवधिसेतक
पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने का कारण (पुनरीक्षित विवरणी के विवरणी प्रकरण में)

भाग ख :-टर्नओवर

1. अवधि के दौरान वास्तविक प्राप्ति
2. नियमों के अंतर्गत कर संग्रहण
3. कुल टर्नओवर (1+2)

डी टी एच/टेलीकॉम सेवा प्रदाता के प्रकरण में, भाग-एक में, जानकारी दी गई है।

भाग ग :- कटौतियां

1. नियमों के अंतर्गत कर संग्रहण
2. अन्य कोई कटौती
3. कुल कटौतियां (1 एवं 2)
4. कर योग्य टर्नओवर (बी 3-3)

भाग घ :-कर योग्य टर्नओवर एवं देयक कर

गतिविधि का नाम	कर की दर	कर योग्य टर्नओवर	देयक कर
1.			
2.			
3.			
4.		कुल	

भाग ड :- कुल देयक रकम

1. देयक कर
2. अतिरिक्त अवधि के दौरान अधिक कर का संग्रहण (यदि कोई हो)
3. विलंब भुगतान पर ब्याज
4. कुल देयक रकम (1+2+3)

भाग च:-चालान द्वारा भुगतान के ब्यौरे

चालान नंबर	चालान दिनांक	रकम
कुल		

भाग छ:- अन्य साख

1. पूर्व तिमाही में अधिक भुगतान की साख
2. अन्य कोई साख
3. कुल (1+2)

भाग ज :- समायोजन

1. कुल देयक रकम (घ4)
2. चालान द्वारा कुल देयक (ड)
3. कुल अन्य साख (च3)
4. कुल साख (2+3)
5. इस तिमाही के लिए साख
6. आगामी तिमाही को अग्रनीत की जाने वाली साख

भाग झ :- अग्रनीत डी टी एच/टेलीकॉम सेवा प्रदाता के प्रकरण में प्राप्तियों के ब्यौरे

अनुक्रमांक	अभिदाताओं की संख्या	सेवा प्रदाता का नाम	प्राप्त प्रभार्य	कर संग्रहण	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

सत्यापन

मैं.....(नाम), इस व्यवसाय फर्म कीएतद्वारा यह घोषणा एवं सत्यापन करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी एवं विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास में व्यवसाय के लिए संधारित लेखा के आधार पर सत्य एवं सही है।

स्थान

तारीख.....

.....
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

वित्तीय वर्षकी तिमाही के लिए विवरणी

प्रस्तुत तारीख.....

विलंब (यदि कोई हो) (दिवस में) :-

प्राप्तकर्ता पदधारी के हस्ताक्षर
(एम्पलाई आई.डी.....)

अभिस्वीकृति

विवरणी प्ररूप दस की प्राप्ति संख्या.....

तारीख.....

वित्तीय वर्ष की तिमाही.....

TIN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम एवं पता

(मुहर लगाए)

प्राप्तकर्ता पदधारी हस्ताक्षर
(एम्पलाई आई.डी.....)

घोषणा

मैं.....(नाम) इस व्यवसायिक फर्म काएतद्वारा घोषणा करता हूँ कि विवरणी में दी गई जानकारी एवं विवरण जो कि मेरे द्वारा उपरोक्त वर्णित अभिस्वीकृति क्रमांक इलेक्ट्रॉनिकली हस्तांतरित की गई है सत्य और मेरे ज्ञान एवं विश्वास में सही है।

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान.....

तारीख.....

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

वित्तीय वर्ष का त्रैमासिक/माह..... का
विवरणी सत्यापन प्ररूप
..... को जमा किया गया

.....को एप्लीकेशन साफ्टवेयर में एंट्री की गई

पदधारी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
(एम्पलाई आई.डी.....)

पदधारी डाटा एंट्री के हस्ताक्षर
(एम्पलाई आई.डी.....)

अभिस्वीकृति

विवरणी सत्यापन प्ररूप ग्यारह प्राप्ति क्रमांक

वित्त वर्ष का त्रैमास

टिन

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम व पता

(सील लगाएं)

तारीख-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

पदधारी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
(एम्पलाई आई.डी.....)

प्ररूप-आठ
(नियम 12 (3) -- देखिए)
नियम 12 (3) के अंतर्गत व्यक्ति को निर्धारण के लिए सूचना

अवधि तारीख माह वर्ष

तारीख माह वर्ष

--	--	--

--	--	--

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम व पता

(सील लगाएं)

1. सकल टर्न ओवर (जी टी ओ)
2. कटौतियां
3. कराधेय टर्नओवर (1-2)
4. देय कर
5. विलम्ब भुगतान के लिए ब्याज (यदि कोई हो)
6. कुल देय रकम (4+5)
7. कोई जमा
8. चालानों द्वारा देय रकम
9. शेष, यदि कोई हो, स्वयं के द्वारा देय

उपरोक्त वर्णित अवधि से संबंधित विवरणी नियम 12 के अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्धारण समझी जाए।

स्थान

दिनांक

मुहर

.....
समुचित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-गौ
(नियम 12 एवं 15 देखिए)

निर्धारण / शास्ति के लिए सूचना

प्रति,
(नाम)
(पता)
दि.
अवधि से

यतः नियम 12 के अधीन उपरोक्त उल्लिखित कालावधि की आपकी लेखा पुस्तकों तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात् आपका निर्धारण उपरोक्त कालावधि के लिए किया गया है.

या

मैं संतुष्ट हूँ कि आपने आपका टर्नओवर रु. / का छिपाया है आपने आपके टर्नओवर की असत्य/विवरण आपकी विवरणी में दी है। आपने असत्य विवरणी अवधि से..... तक..... प्रस्तुत किया है एवं इस कारण आपने अपने आप को नियम 15 अंतर्गत शास्ति हेतु दायी बना लिया है।

अतएव, एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं या आपके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित होकर लिखित में मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर इस संबंध में सुनवाई के लिए उपस्थित हो या प्रस्तुत करने का कारण आपकी खाते की पुस्तकों एवं अन्य संबंधित दस्तावेज उस अवधि के लिए अथवा आपके द्वारा दर्ज आपत्ति के लिए सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करें।
(स्थान)..... (समय) (तारीख).....

(समय)

(हस्ताक्षर)

(तारीख)

(पदनाम)

प्ररूप-दस
(नियम 12 देखिए)
निर्धारण का आदेश

प्रकरण क्रमांक

निर्धारण की अवधि

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम व पता

निर्धारण अधिकारी का नाम तथा पदनाम

कार्यालय

आदेश की तारीख

नियम सह उप-नियम जिसके अंतर्गत निर्धारण

किया गया हो और या शास्ति अधिरोपित की गयी हो।

भाग क:

विवरण	विवरणी के अनुसार	गणना अनुसार	निर्धारित
1. सकल टर्न ओवर (जी टी ओ) (उप-शीर्ष (एक) से (तीन) का योग)			
(एक) अवधि के दौरान वास्तविक प्राप्ति			
(दो) अवधि के दौरान रियायती दरों पर स्वीकृत/साधारण दरों पर देय			
(तीन) नियमों के अंतर्गत कर संग्रहण			

2. घटाईये: कटौतियों के संबंध में-

(उप-शीर्ष (एक) से (चार) का योग)

(तीन) नियमों के अधीन संग्रहीत कर

(चार) कोई अन्य कटौती)

3. करारोपित टर्न ओवर (1-2)

भाग ख : करारोपित टर्नओवर पर कर भुगतान की गणना

(भाग ख का बाक्स 3)

गतिविधि का नाम	कर की दर	करारोपित टर्नओवर	कर निर्धारित
		विवरणी के अनुसार	गणना अनुसार निर्धारित
		कुल	

भाग ग : विलंब भुगतान के लिए ब्याज

विवरणी के अनुसार ब्याज / गणना	उद्ग्रहीत ब्याज

भाग घ: अधिरोपित शास्ति

नियम के अंतर्गत	अधिरोपित शास्ति
कुल	

भाग ङ: चालान द्वारा भुगतान के ब्योरे

चालान क्रमांक	चालान तारीख	रकम
कुल		

भाग च: अन्य जमा

1. पूर्व त्रैमास में अधिक भुगतान का जमा	_____
2. अन्य कोई जमा	_____
3. कुल (1+2)	_____

भाग छ: समायोजन

1. कुल देयक रकम (ख+ग+घ)	_____
2. चालानों द्वारा कुल भुगतान (ङ)	_____
3. अन्य जमा का योग (च+3)	_____
4. कुल जमा (2+3)	_____
5. बकाया देयक / प्रतिदेयक तारीख तक देय देय	_____

आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर
मध्यप्रदेश कोषालय

.....
मुहर एवं हस्ताक्षर निर्धारण अधिकारी

प्ररूप—ग्यारह
(नियम 17 (1)(क) देखिए)
सिनेमा हॉल तथा प्रभारों की मूलभूत जानकारी

1. सिनेमा हॉल का नाम
2. सिनेमा हॉल का पता
3. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम
4. मैनेजर का नाम
5. टिन
6. पर्दों (स्क्रीन) की संख्या
7. बैठक क्षमता एवं प्रभार (स्क्रीन अनुसार ब्यौरे दिए जाएं यदि एक स्क्रीन से अधिक हो तो)

वर्ग	सीटों की संख्या	दर	अनुज्ञात प्रदर्शनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)

उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सत्य है।

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

प्ररूप-बारह
(नियम 17 (1) (ख) देखिए)

अधिग्रहण एवं कर संग्रहण का प्रतिदिन का लेखा

1. सिनेमा हॉल का नाम
2. सिनेमा हॉल का पता
3. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम
4. टिन

तारीख तथा प्रदर्शन का समय	वर्ग	अधिग्रहीत सीटों की संख्या	दर	प्राप्ति	देयक कर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कुल					

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर.....

नाम एवं पदनाम.....

प्ररूप-तेरह
(नियम 17 (1) (ग) देखिए)

मासिक कर के संग्रहण एवं भुगतान का सार

1. सिनेमा हॉल का नाम
2. सिनेका हॉल का पता
3. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम
4. टिन

माह	कुल प्राप्ति	कुल कर संग्रहण	भुगतान किया गया कर	चालान संख्या एवं तारीख	शेष	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

प्ररूप-चौदह
(नियम 18 (1) एवं 19 (1) देखिए)
केबल/डी टी एच सेवा द्वारा अभिदाता कार्ड

- केबल टेलीविजन नेटवर्क/डी टी एच सेवा प्रदाता
का नाम एवं पता
- टिन
- अभिदाता पहचान संख्या
- जारी करने की तारीख
1. अभिदाता का नाम
 2. अभिदाता का पूरा पता
 - मकान नंबर
 - वार्ड/मोहल्ला
 - कस्बा
 - जिला
 3. सेवा/अभिदाय प्रभार की रकम
 4. अभिदाता के हस्ताक्षर
 5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या मैनेजर के हस्ताक्षर

प्ररूप-पन्द्रह
(नियम 18 (1) (ख) देखिए)
रजिस्टर केबल सेवा प्रदाता द्वारा संधारित होगा

- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम
- सेवा के ब्यौरे
- टिन

अनुक्रमांक	अभिदाता पहचान संख्या	अभिदाता का नाम और पता	सेवा प्रदाता का नाम	प्रभार	तारीख जिससे सेवा प्रदाय की गई	अन्य ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

प्ररूप-सोलह
(नियम 18 (1) (ग) देखिए)
कर के संग्रहण एवं भुगतान का मासिक सार

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम
सेवा के ब्यौरे
टिन

माह अभिदाताओं की कुल संख्या	प्रदाय की गई सेवा के लिए किए गए कुल प्रभार	संग्रहीत कुल कर	भुगतान किया गया कर	चालान संख्या एवं तारीख	शेष	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....

प्ररूप-सत्रह
(नियम 19 (2) देखिए)
डी टी एच सेवा की मूलभूत जानकारी

- डी टी एच सेवा का नाम
- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम
- मैनेजर का नाम
- टिन

मनोरंजन पैकेज का नाम	प्रभार	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)

उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सत्य है।

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....

प्ररूप-अठारह
(नियम 19 (3) (क) देखिए)
डी टी एच सेवा प्रदाता द्वारा रजिस्टर संधारित करना होगा

1. डी टी एच सेवा का नाम _____
2. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम _____
3. मैनेजर का नाम _____
4. टिन _____

अनुक्रमांक	अभिदाता पहचान संख्या	अभिदाता का नाम एवं पता	प्रदाय की गई सेवा का नाम	प्रभार	तारीख जिससे सेवा प्रदाय की गई	अन्य ब्योरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....

प्ररूप-उन्नीस
(नियम 19 (3) (ख) देखिए)
कर के संग्रहण एवं भुगतान का मासिक सार

1. डी टी एच सेवा का नाम _____
2. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम _____
3. मैनेजर का नाम _____
4. टिन _____

माह	अभिदाताओं की कुल संख्या	प्रदाय की गई सेवा के लिए प्राप्त कुल प्रभार	संग्रहीत कुल कर	भुगतान किया गया कर	चालान संख्या एवं तारीख	शेष	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....

प्ररूप-बीस
(नियम 20 (1) देखिए)
टेलीकॉम सेवा की मूलभूत जानकारी

1. टेलीकॉम सेवा प्रदाता का नाम
2. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम
3. मैनेजर का नाम
4. टिन

मनोरंजन का नाम	प्रभार	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)
रिंग टॉस गायन वीडियोज मूवीज ए-गीगेशन्स गेम्स जोक्स कॉन्टेस्ट		

उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान व विश्वास से सही एवं सत्य है।

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

प्ररूप-इक्कीस
(नियम 20 (2) (क) देखिए)
टेलीकॉम सेवा प्रदाता द्वारा रजिस्टर संधारित करना होगा

1. टेलीकॉम सेवा प्रदाता का नाम _____
2. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम _____
3. मैनेजर का नाम _____
4. टिन _____

अनुक्रमांक	दूरभाष क्रमांक	अभिदाता का नाम एवं पता	प्रदाय की गई सेवा का नाम	प्रभार	तारीख जिससे सेवा प्रदाय की गई	अन्य ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

स्थान _____
तारीख _____

हस्ताक्षर _____
नाम _____
पदनाम _____

प्ररूप-बाईस
(नियम 20 (2) (ख) देखिए)
कर संग्रहण एवं भुगतान का मासिक सार

1. टेलीकॉम सेवा प्रदाता का नाम _____
2. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम _____
3. मैनेजर का नाम _____
4. टिन _____

माह	अभिदाताओं की कुल संख्या	प्रदाय की गई सेवा के लिए प्राप्त कुल प्रभार	संग्रहीत कुल कर	कर भुगतान	चालान संख्या एवं तारीख	शेष	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

स्थान _____
तारीख _____

हस्ताक्षर _____
नाम _____
पदनाम _____

No.-21-F-1-32-2017-18-3

Dated, 9th July 2018

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 132, sub-section (1) of Section 433, and clause (c) of sub-section (2) of Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956); and sub-section (3) of Section 127, sub-section (1) and clause (xix), (xx) and (xxi) of sub-section (2) of Section 355, and sub-section (1) and (2) of Section 358 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following rules for levy of tax on entertainments and amusements to be provided by any person in the area of a local body in Madhya Pradesh, namely :

RULE

1. Short title and Commencement,-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Municipal (Entertainment and Amusement) Tax Rules, 2018.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions,-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "admission to an entertainment" includes admission to any place in which the entertainment is held and access to entertainment through cable service, direct to home (DTH) service, telecom service or any other technological means or device;
 - (b) "appellate authority" means the authority mentioned in rule 13;
 - (c) "aggregate turnover" means the aggregate of all taxable turnover of a person during a financial year, but it shall not include the tax levied in these rules and the tax levied under

Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) and Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 12 of 2017);

(d) **"appropriate authority"** means authority for levy, collection and administration of entertainment and amusement tax levied by local bodies which shall be as under :

(i) Chief Municipal Officer, in case of Municipality;

(ii) Commissioner, in case of Municipal Corporation;

(e) **"casual taxable person"** means a person who is occasionally engaged in the business of providing entertainment or amusement in a local area, as is in the case of an exhibition, Circus, music shows, sports matches, stage performances and the like;

(f) **"person"** includes a company, association or body of individuals whether incorporated or not, a Hindu undivided family, a firm, a co-operative society, a club, a local authority, a State Government, the Central Government and a Government Undertaking, and shall include any other person responsible for the management of business of such person or who is for the time being in-charge of business of such person.

(g) **"turnover"** in relation to any period means the aggregate of the monetary considerations received or receivable by a person in respect of entertainments and amusements provided by him in a local area during an assessment period.

(2) All other words and expressions used in these rules but not defined, and defined in the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956, or the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961, shall have the same meaning as assigned to them in these Acts.

3. Incidence of tax,-

- (1) Every person whose aggregate turnover in a local area during twelve months immediately preceding the commencement of these rules exceeds fifty thousand rupees shall, from the date of commencement of these rules, be liable to pay tax under these rules in respect of any entertainment or amusement provided by him in the said local area.
- (2) Every person not covered under sub-rule (1) shall be liable to pay tax under these rules in respect of any entertainment or amusement provided by him in a local area from the date on which his aggregate turnover in a year first exceeds five lakh rupees, but for the purpose of assessment of tax for that year, only so much of his turnover as is in excess of five lakh rupees shall be taken into consideration:

Provided that in case of a casual taxable person the liability to pay tax shall commence from the date of commencement of business of providing any entertainment or amusement by him in the said local area irrespective of his aggregate turnover during preceding twelve months.

4. Levy of tax,-

- (1) There shall be levied a tax on the aggregate turnover of a person providing entertainments and amusements in a local area of Madhya Pradesh, and such tax shall be payable at the rate decided by the Council of the said local body but shall not exceed twenty per cent of the turnover :

Provided that the Council of a local body may decide to levy different rate of tax for different entertainments and amusements.

- (2) If a person other than the owner (including part-owner) is for the time being in-charge of the place of business, then such person and the owner (including part-owner) shall jointly and severally be liable to pay the tax under these Rules.

5. Power to exempt

- (1) The State Government may, by notification, and subject to such restrictions and conditions as may be specified therein, exempt whether prospectively or retrospectively, in whole or in part, any person or class of persons or any event of entertainment or amusement, or any class of entertainment or amusement in all or any of the local areas of the State.
- (2) The Council of any local body may also exempt whether prospectively or retrospectively, in whole or in part, any person or class of persons or any event of entertainment or amusement, or any class of entertainment or amusement provided in its local area, after the approval of State Government.

6. Registration

- (1) Every person liable to pay tax under these rules shall obtain a registration certificate from the appropriate authority:

Provided that the Council of a local body may decide to treat the persons who have been registered under Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhinyam, 2011 (No. 11 of 2011), or who are registered under Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), as registered for the purposes of these Rules, and can allot the new registration numbers and registration certificates to such persons on that basis, without any requirement to file a fresh application for registration by such persons, or can decide to continue the said registration numbers for the purpose of these Rules, with suitable prefix or suffix, as it deems fit.

- (2) Subject to provisions of sub-rule (1) every person required to obtain a registration certificate shall within thirty days from the date of commencement of these Rules, or if he was not carrying on business on that date, shall within thirty days of his becoming liable to pay tax, apply in **Form I** for issue of a registration certificate:

Provided that a person having places of business within the jurisdiction of more than one local body shall make an application to each such local body for issue of registration certificate separately for each place of business :

Provided further that there shall be no fees for filing application for registration.

- (3) Where a person required to obtain a registration certificate under sub-rule (1) fails to apply for the same within the time specified in sub-rule (2), the appropriate authority may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty a sum not exceeding five thousand rupees, subject to a minimum of five hundred rupees, apart from the tax and penalty, as may be leviable on him in the assessment to be made as an unregistered person.
- (4) A casual taxable person shall obtain a temporary registration for the period for which he wants to do business in that local area, by making an application in **Form I** before commencement of business in the local area by making advance payment of his estimated tax liability for that period.

7. Grant of registration certificate

- (1) If the appropriate authority finds that the application is not in order or that all necessary particulars have not been furnished he shall direct to furnish such additional information as may be considered necessary.
- (2) After considering the additional information, the appropriate authority, if satisfied that the application is in order, and the necessary particulars have been furnished, shall grant a registration certificate in **Form II**.
- (3) A registration certificate granted on application made within the period specified in sub-rule (2) of Rule 6 shall be valid from the date of liability. A registration certificate granted on an application made after such period shall be valid from the date of application.

- (4) A temporary registration certificate to a casual taxable person shall be issued in **Form II** for the period for which he wants to do business in that local area:

Provided that the period of registration in this sub-rule can be extended on an application of the said person to be filed at least 3 working days prior to the expiry of validity of temporary registration granted to him.

8. Cancellation of registration

When,-

- (a) on an application by a registered person in **Form III** that his business has been discontinued or transferred, or the appropriate authority on his own motion finds that a registered person has discontinued or transferred his business; or
- (b) on an application by a registered person that his liability to pay tax has ceased, or the appropriate authority on his own motion finds that as per the returns submitted by a registered person, his turnover in the immediate previous year has not exceeded the prescribed limit; or
- (c) the appropriate authority on his own motion finds that a registration certificate has been granted to a person on the basis of incorrect information furnished by him; or
- (d) the appropriate authority on his own motion finds that a registered person is in arrears of tax or penalty or any other sum due under these Rules, which is more than rupees one lac and which remains outstanding for more than six months; or
- (e) the appropriate authority on his own motion finds that the certificate of a registered person should be cancelled for reasons to be recorded, the appropriate authority may cancel the registration certificate :

Provided that where the appropriate authority proposes to cancel the registration certificate of a person, he shall give the said registered person an opportunity of being heard.

9. Payment of tax

- (1) The tax payable under these rules shall be paid by challan in **Form IV** in the account of the local body.
- (2) The e-receipt for payment through internet shall be in **Form V**.
- (3) A registered person who is liable to pay tax ordinarily of rupees fifteen thousand per quarter or rupees sixty thousand per annum or above shall pay tax for first and second month of a quarter within 10 days of expiry of the month, and the balance amount of tax shall be paid on or before the last date for filing of the return for that quarter.
- (4) A registered person not covered by sub-rule (3) shall be liable to pay tax for each quarter on or before the last date for filing of return for that quarter.
- (5) Where the registered person is the State Government or any of its departments, the tax or any other amount payable under these rules may be paid by book adjustment.
- (6) In case of any delay or default in payment of tax, interest shall be payable at the rate of 1.5 percent per month from the date the tax is payable to the date of its payment or to the date of order of assessment, whichever is earlier.

10. Furnishing of returns

- (1) Every registered person liable to pay tax under Rule 3 shall furnish to the appropriate authority a return in **Form VI** for every quarter of the year within thirty days of the expiry of such quarter. The return shall be accompanied with a copy of the challan for payment of tax paid for that quarter:

Provided that the return for the period commencing from the date of commencement of these rules and ending with the last day of the quarter in which these rules come into force, shall be furnished within a period of thirty days of the expiry of the said quarter.

- (2) If a registered person defaults in filing a return under sub-rule (1) by a registered person, he shall be liable for penalty of fifty rupees per day subject to maximum of one thousand rupees for each return.
- (3) In case of electronic filing of return, return verification shall be filed in **Form VII**.

11. Filing of annual return and tax audit report

If a person registered under these rules is also registered under Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), then he shall submit a copy of the Annual return and the audit report submitted by him as per Section 44 thereof, and a summarised statement of the turnover in the local area shall be submitted duly certified by the auditor signing the said audit report, if the said annual return and audit report also contains turnover pertaining to a place other than the local area.

12. Assessment

- (1) The powers of assessment, reassessment and collection of tax under these rules shall vest in the appropriate authority.
- (2) If a registered person has filed all the prescribed returns and has paid the tax payable as per said returns, and has also filed a copy of the annual return and audit report required to be filed by him under Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, he shall be deemed to be assessed on the basis of returns filed by him.
- (3) If a registered person is deemed to be assessed under sub-rule (2), intimation shall be sent to him in **Form VIII**.
- (4) If there is a short payment of tax, interest or penalty payable as per returns filed by a registered person, a notice for regular assessment shall be issued to him in **Form IX** by the appropriate authority.

- (5) Notwithstanding the provisions of sub-rule (2), if the appropriate authority on scrutiny of the returns filed by a registered person, deems fit, he may issue a notice in **Form IX** to such person for regular assessment.
- (6) If a registered person,-
- (a) has not furnished returns in respect of any period by the prescribed date; or
 - (b) has knowingly furnished incomplete or incorrect returns for any period; or
 - (c) (i) has not maintained any accounts, or
(ii) the accounts maintained by him are not in accordance with the provisions Rules 17, 18, 19 or 20, as may be applicable, or
(iii) has not regularly employed any method of accounting, or
(iv) the method employed is such that in the opinion of the appropriate authority assessment cannot properly be made on that basis, the appropriate authority shall, after issue of notice in **Form IX** assess the said person to the best of his judgment.
- (7) The assessment order shall be passed in **Form X** within a period of one calendar year from the expiry of the relevant financial year.
- (8) A registered person shall be assessed separately for each year.
- (9) Assessment of a casual taxable person shall be made within a period of fifteen days from the date of discontinuation of business by him in that local area or cancellation of his registration certificate, whichever is earlier.
- (10) If a person liable to pay tax has failed to apply for registration, he shall be issued a notice in **Form IX** for making his assessment as an unregistered person :

Provided that no notice shall be issued under this sub-rule for assessment of an unregistered person for any period earlier than five years from the date of issue of such notice.

13. Appeal

- (1) Any person aggrieved by an order of the appropriate authority, may file an appeal to the Civil Judge, Class I, having jurisdiction over the Municipal area and if there be no Civil Judge, Class I at the headquarters of the Municipality, the Civil Judge, Class II having jurisdiction at such headquarters, if there be no such Civil Judge Class II at the headquarters to the Civil Judge at the headquarters having jurisdiction and in case of more than one such Civil Judge at the headquarters having jurisdiction, as the case may be, to such one of them as the District Judge may specify, within thirty days of receipt of the said order:

Provided that where the local body is a Municipal Corporation, then the appeal under this sub-rule shall lie to the jurisdictional District Court

- (2) No appeal under sub-rule (1) shall be admitted against any order, unless out of the total balance due as per said order, the amounts admitted to be due and twenty five percent of the remaining amount is paid and the memorandum of appeal is accompanied by a satisfactory proof of payment of such amount.
- (3) On payment of amount as per sub-rule (2), the recovery of balance demand shall be stayed till the disposal of appeal within a period of 12 calendar months from the date of filing of the appeal.
- (4) The decision in an appeal made under sub-rule (1), shall be final subject to the decision in revision by the Court to which appeals against the said decision in appeal ordinarily lie.
- (5) The amount of every sum claimed from any person under these rules on account of tax or otherwise, shall be final, subject to and decision in appeal or revision, if any, preferred under sub-rule (1) or sub-rule (4),.

- (6) The Council shall give effect to every decision in any appeal or revision against any claim.

14. Recovery of tax, interest, penalty and other dues,-

- (1) The amount of tax, interest or penalty payable as per assessment or re-assessment order shall be paid within thirty days of receipt of the assessment or re-assessment order.
- (2) Where on an admission of a first appeal or a second appeal, the appellate authority stays the recovery of any amount of tax, interest or penalty, and on a decision in such appeal, if the amount of tax, interest or penalty so stayed has been maintained in whole or in part, the person shall be liable to pay interest at the rate of 1.5 percent per month on such amount from the date on which the recovery of such amount was stayed to the date of its payment after the decision in appeal.
- (3) When a person fails to pay any amount of tax, interest or penalty, it shall be recoverable as an arrear of property tax, and all the provisions pertaining to recovery of property tax shall become applicable.

15. Levy of penalty

- (1) If the appropriate authority or the appellate authority, in the course of any proceedings under these rules is satisfied that a person has concealed his turnover or has furnished false particulars of turnover in his return or returns for any year or part thereof, the appropriate authority or the appellate authority, as the case may be, may initiate proceeding for imposition of penalty under this Rule.
- (2) The proceeding under sub-rule (1) shall be initiated by appropriate authority or the appellate authority, as the case may be, by issue of a notice in **Form IX** for giving the person an opportunity of hearing.
- (3) On hearing the person, the appropriate authority or the appellate authority, as the case may be, shall pass an order not later than one calendar year from the date of initiation of such proceeding, directing the person that he shall in addition to the tax payable by him, pay by way of penalty a sum which shall not be less than three times but shall not exceed 3.5 times of the tax evaded.
- (4) A person, on whom a penalty has been levied under sub-rule (3) may opt to pay in lieu of penalty a lump sum amount, which shall be twice the

amount of tax evaded, and once the person has exercised the option of composition, he shall not have any right to challenge the order of penalty in any forum.

16. Delegation of powers and duties

The Local body Council may decide to delegate any of the power and duties as per the provisions of M.P. Municipal Corporation Act, 1956 or M.P. Municipality Act, 1961, under these rules except the powers of the appellate authority to any officer of the local body.

17. Maintenance of accounts by a Cinema Hall

- (1) Every person registered in respect of a Cinema Hall shall maintain following records :
 - (a) Information of seating capacity and the charge therefor in **Form XI**;
 - (b) Daily account of occupancy and collection of tax in **Form XII**; and
 - (c) Monthly abstract of collection and payment of tax in **Form XIII**.
- (2) Such person shall maintain a separate bound register for each of the Forms specified in sub-rule (1).

18. Maintenance of accounts by a Cable operator

- (1) Every person registered for Cable service shall maintain following records :
 - (a) a subscriber's card in **Form XIV** in duplicate. The first copy of the subscriber card shall be issued to the subscriber and the second copy shall be retained by him for his record;
 - (b) a register in **Form XV** of details of subscriber, service provider and the charge therefor;
 - (c) Monthly abstract in **Form XVI** of collection and payment of tax.
- (2) Such person shall maintain a separate bound register for records maintained in clause (b) and (c) of sub-rule (1).

19. Maintenance of accounts by a DTH service provider

- (1) Every person registered for providing DTH services shall prepare a subscriber's card in **Form XIV** in duplicate. The first copy thereof shall be issued to the subscriber and the second copy shall be retained by the said person for his record.

- (2) Such person shall send information in **Form XVII** to the appropriate authority along with the first quarterly return under these Rules. In case of any change in the information, such person shall send revised information in **Form XVII** to the appropriate authority within 30 days of the change.
- (3) Every person registered for providing DTH services shall maintain-
 - (a) a register in **Form XVIII** of details of subscriber, service provider and the charge therefor.
 - (b) Monthly abstract in **Form XIX** of collection and payment of tax.
- (4) Such person shall maintain a separate bound register for each of the Forms specified in sub-rule (3).

20. Maintenance of accounts by a Telecom operator

- (1) Every person registered for providing telecom services shall send information in **Form XX** to the appropriate authority, along with the first quarterly return under these Rules. In case of any change in the information, the said person shall send revised information in **Form XX** to the appropriate authority, situated within 30 days of the change.
- (2) Such person shall maintain-
 - (a) a register containing details of subscriber, service provider and the charge therefor, in **Form XXI**;
 - (b) Monthly abstract of collection and payment of tax, in **Form XXII**.
- (3) Such person shall maintain a separate bound register for each of the Forms specified in sub-rule (2).

21. Maintenance of records in electronic form :

The Municipal council of a local body may permit any registered person or class of persons to maintain all or any of the records prescribed in Rule 17, 18, 19 or 20, as the case may be, in electronic form, provided it contains all requisite information as per requirement of these rules.

Form I

[See Rule 6(2) and 6(4)]

Application for grant of registration certificate / Temporary registration certificate

To,

.....(designation)

.....

.....

For Office Use

TIN allotted

I request to grant registration and issue a *registration certificate / *a temporary registration certificate for the period from..... to..... for my firm / organization named..... under the Madhya Pradesh Local Body Tax Rules, 2017.

*Strike out whichever is not applicable.

The particulars of my firm/organization are given below :

PART A : Basic Information

1. Name of firm/ Organization

2. Full Address of firm/
Organisation

House No :

Street/Complex :

Village/Mohallah :

Town/City :

District :

Ward No :

Pin :

Landmark

Phone No. (O)

(R)

Mobile No :

Fax No :

Email :

Website/URL :

3. Status of Firm/ Organization	A-Proprietorship	
	B-Partnership	
	C-Private Limited	
	D-Limited Company	
	E-State Government Department	
	F-State Government undertaking	
	G-Central Government Department	
	H-Central Government undertaking	
	I-Co-operative society	
	J-HUF	
	K-Any other (mention details)	
4. Full Address of principal place of business	House No. :	
	Street/Complex :	
	Village/Mohallah :	Town/City :
	District :	Ward No :
	Pin :	Landmark
	Phone No. (O)	(R)
	Mobile No :	Fax No :
	Email :	
	Website/URL :	
5. Nature of Business		
6. Main activity at principal place of business		
7. Full name of applicant		

8. Father's name of applicant

9. Status of applicant in
firm/organization

10. Local address of applicant

House No. :

Street/Complex :

Village/Mohallah :

Town/City :

District :

Ward No :

Pin :

Landmark

Phone No. (O)

(R)

Mobile No :

Fax No :

Email :

Website/URL :

11. Permanent address of
applicant

House No. :

Street/Complex :

Village/Mohallah :

Town/City :

District :

Ward No :

Pin :

Landmark

Phone No. (O)

(R)

Mobile No :

Fax No :

Email :

Website/URL :

12. PAN of applicant

PART B : Business

1. Date of commencement of business		
2. Date of first transaction of operation		
3. If operation has not commenced, probable date of commencement		
4. Total receipts, till date (financial year-wise)		
5. Date of liability to pay tax under the Rules		
6. Description of activity		
7. Details of locations of places activity-wise	House No. :	
	Street/Complex :	
	Village/Mohallah :	Town/City :
	District :	Ward No :
	Pin :	Landmark
	Phone No. (O)	(R)
	Mobile No :	Fax No :
	Email :	
	Website/URL :	
8. Capital investment in business		
9. Source of investment		
10. Details of previous owners of the business, if any		

PART C : Details of Proprietor/Partners/Directors/ Co-parceners of the firm/Organization

Name and father's name	Status (*Proprietor/ Partners/directors.....)	Age	Local address with telephone no.	Permanent address with telephone no.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Extent of interest	PAN (if any)	Passport Number	Driving licence No.	Voter ID No.	Signature	Signature, name and address of the person verifying the signature in column (11)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

PART D : Attested photographs of Proprietor's / Partner's / Director's / Co-parceners of the firm/Organization

Name	Name	Name	Name	Name	Name
.....
Photo	Photo	Photo	Photo	Photo	Photo
.....
Signature	Signature	Signature	Signature	Signature	Signature
.....

PART E : Details of Bank Accounts

Account Number	Type of Account	Name of Bank and full address of branch

PART F : Details of Additional Places of Business

Within Madhya Pradesh	Outside of Madhya Pradesh

PART G : Details of registrations/licenses with other departments

Name of Department/	Registration / License number	Date of validity

Part H : Details of property and interest in some other business within State

Name of proprietor/ partners/ other persons	Details of property owned with complete address and value	Registry No./ Date	Registry Office (Address)	Details of other business with TIN and extent of share in it.

Part I : Details of property and interest in some other business outside State

Name of proprietor/ partners/ other persons	Details of property owned with complete address and value	Registry No./ Date	Registry Office (Address)	Details of other business with TIN and extent share in it.

Part J : Details of Managers of different activities

Activity / location	Name and father's name of Manager	Address and Telephone No.	Signature

Declaration

I.....(Name), being.....of the business firm making this application do hereby declare that the information and particulars given above in this application are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place.....

Date..... Signature

Part K : Verification by two persons registered under these Rules

(1) I.....s/o.....being authorized signatory of M/s..... holding TIN.....under these rules do hereby declare that, I know the applicant of this application personally and I believe that particulars given in this application form are true and correct.

Place.....

Date..... Signature

(2) I.....s/o.....being authorized signatory of M/s.....holding TIN.....under these rules do hereby declare that, I know the applicant of this application personally and I believe that particulars given in this application form are true and correct.

Place.....

.....

Date.....

Signature

Check List of Enclosures :

- Xerox of partnership Deed/ memorandum of association/registration under Co-operative Society Act.
- Photographs of all co-applicants.
- Verification of 2 TIN holding persons.
- Xerox of Rental/ lease agreement of the place of business.
- Xerox of Licence/ registration Certificates with other Department.

Acknowledgement

Received an application in Form III for grant of *registration certificate / *a temporary registration certificate for the period from..... to.....under Rule 6 of the Madhya Pradesh Local Body Tax Rules, 2017 from Shri.....

Seal

.....

Place.....

Signature of Receiving Official

Date.....

Employee id.....

Form II

[See Rule 7(1) and 7(3)]

Registration certificate

TIN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. This is to certify that M/s. whose principal place of business is situated at (address), is registered under the Madhya Pradesh Local Body Tax Rules, 2017, with effect from (date).

2. The nature of business is :

(i) the activity of providing entertainment.

(ii) the activity of providing amusement.

*3. This registration certificate shall be valid for a period of.....days, unless the period of validity is extended for the further period on the application of the registered person.

Seal

Signature

Date

Designation.....

*Strike out if not applicable.

Form III

[See Rule 8(a)]

Application for cancellation of registration

I.....Proprietor /*Manager / Partner / Director / Officer-in-charge of the business known as.....holding TIN.....under the Madhya Pradesh Local Body Tax Rules, 2017 hereby state that :

*(a) I have discontinued my business from.....

OR

*I have wholly transferred my business on.....to M/s.....address.....holding TIN.....(if any).

*(b) My gross turnover for the last two consecutive years preceding the current year as also for the current year (up to the date of application) was as under :

Year	Gross turnover
1.....
2.....
3 Current Year

which is below the liability limit prescribed.

I, therefore, apply for cancellation of my registration certificate under *clause (a)/*clause (b) of Rule 8 of the said Rules.

2. *As I have discontinued my business or wholly transferred my business or ceased to be liable to pay tax, I herewith enclose my registration certificate along with certified copies thereof for cancellation.

Encl : Registration certificate along with the certified copies thereof

Place.....

Date.....

Signature of the registered person

*Strike out whichever is not applicable.

Form IV

[See Rule 9(1)]

Challan**Madhya Pradesh Local Body Tax Rules, 2018**

(entertainment tax.....)

Challan of tax / penalty / interest paid to

Under Rs. (In words)

By whom tendered	Name and address of the person on whose behalf money is paid and TIN (if any)	Payment of account	Amount (to be entered in figures)
(1)	(2)	(3)	(4)
		(a) Tax according to return for period from to.....	
		(a) Tax demanded after assessment for the year case No. assessed by.....	
		(c) Interest	
		(d) Penalty	
		(e) Miscellaneous	
		Total Rs. (In figures)	_____
Total Rs. (In words)			_____

Place.....

Date

Signature of the depositor

For use in the treasury or Bank		
1. Received payment of Rs. (in figures) Rs. (in words)		
2. Date of entry Challan No.		
Treasurer	Accountant	Treasury Officer / Agent or Manager

Form V

[See Rule 9(2)]

e-Receipt

Electronic Payment of tax

TIN : (Tax payers Identification number)	Name of the registered person :
Name and Code of the Bank :	Address :
Challan No. :	Assessment Year :
Assessment / Concerning Period :	Name and Code of the Branch :
Amount (In figures) :	Date of Transaction :
CIN No. (Challan Identification Number) :	Time of Transaction :
Bank Reference No.	Purpose of payment :
	Amount (In words) :

Form VI

[See Rule 10(1)]

Return

Initials of receiving clerk.....

(Original/Revised)

Part-A : Details of the registered person

Name and address
(Affix seal)	
TIN
Period	From To.....
Reasons for filing revised returns (in case the return is a revised return)

Part-B : Turnover

1. Actual receipts during the period*
2. Tax collected under the Rules
3. Total turnover (1+2)

*In case of DTH / Telecom service provider, the information in Part-I be given.

Part-C : Deductions

1. Tax collected under the Rules
2. Any other deduction
3. Total of deductions (1 and 2)
4. Taxable turnover (B3-3)

Part-D : Taxable turnover and tax payable

Name of activity	Rate of tax	Taxable Turnover	Tax Payable
1.			
2.			
3.			
4.	Total		

Part-E : Total amount payable

1. Tax payable
2. Add : excess of tax collected during the period (if any)
3. Interest on delayed payment
4. Total amount payable (1+2+3)

Part-F : Details of payments by challans

Challan number	Challan date	Amount
Total		

Part-G : Other credits

1. Credits of excess payments in previous quarter
2. Any other credit
3. Total (1+2)

Part-H : Adjustments

1.	Total amount payable (D4)
2.	Total payments by challans (E)
3.	Total of other credits (F3)
4.	Total credit (2+3)
5.	Credit for this quarter
6.	Credit carried over to next quarter

Part-I : Details of receipts in case of DTH / Telecom service provider

S. No.	No. of subscribers	Name of Service provide	Charges received	Tax collected	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Verification

I.....(Name), being.....of the business firm do hereby declare and verify that the information and particulars given above in this return are based on the accounts maintained for the business and are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place.....

.....

Date.....

Signature of the registered person

For Office Use only

Return for the quarter.....of E.Y.

Submitted on.....

Delay (if any) (in days) :

Signature of Receiving Official

(Employee Id :.....)

ACKNOWLEDGMENT

Return Form X Receipt Number.....

Date.....

Quarter of F.Y. TIN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Name and address of the registered
person

(Affix seal)

Signature of Receiving Official

(Employee Id :)

Form VII

[See Rule 10(3)]

Return verification form**(Original / Revised)**

Quarter/month of F.Y.

TIN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Return For the period

DD MM YYYY To

DD MM YYYY

--	--	--

--	--	--

Name and address of the
registered person

(Affix Seal)

E-Filing

Date DD MM YYYY

Acknowledgement Number

--	--	--

- | | |
|-----|---|
| 1. | Total turnover |
| 2. | Deductions |
| 3. | Taxable turnover (1-2) |
| 4. | Tax payable |
| 5. | Add : any excess tax collected during the period (if any) |
| 6. | Interest for late payment (if any) |
| 7. | Total amount payable (4+5+6) |
| 8. | Total payments by challans |
| 9. | Total of other credits |
| 10. | Total credit (8+9) |
| 11. | Credit for this quarter |
| 12. | Credit carried over to next quarter |

DECLARATION

I.....(Name) being.....of the above business firm do hereby declare that the information and particulars given in the return which has been transmitted electronically by me vide acknowledgement number mentioned above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place.....

.....

Date.....

Signature of the registered person

For Office Use only

Return verification form for the quarter/month.....of F.Y.

Submitted on.....

Signature of Receiving Official

(Employee Id :.....)

Entered into application software on.....

Signature of Data Entry Official

(Employee Id :.....)

ACKNOWLEDGMENT

Return Verification Form XI Receipt Number.....

Date.....

Quarter of F.Y. TIN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Name and address of the registered person "

(Affix seal)

Signature of Receiving Official

(Employee Id :.....)

Form VIII

[See Rule 12(3)]

Intimation for assessment to a person under Rule 12(3)**TIN 23**

Period DD MM YYYY To DD MM YYYY

Name and address of the registered person

(Affix seal)

1. Gross Turnover (GTO)
2. Deductions
3. Taxable Turnover (1-2)
4. Tax payable
5. Interest for Late Payment (if any)
6. Total amount payable (4+5)
7. Any credits
8. Amount paid by challans
9. Balance, if any, payable by you

The returns pertaining to the period mentioned above have been accepted and assessment has been deemed to have been made under Rule 12.

Place.....

Date.....

Seal

Signature of the appropriate authority

Form IX

[See Rule 12 & 15]

Notice for assessment/ penalty

To,

(Name).....

(Address).....

TIN.....

Period.....to.....

Whereas your assessment for the above period is to be made under Rule 12 after verification of your books of accounts and other relevant records for the period mentioned above;

OR

I am satisfied that you have concealed your turnover of Rs. / you have furnished false particulars of your turnover in your return (s) /*you have furnished a false return for the period from to and have thereby rendered yourself liable for penalty under Rule 15.

Therefore, you are hereby directed to attend in person or by a person authorised by you in writing before me for being heard in this regard and to produce or cause to be produced your books of accounts and the documents in respect of the above period and any evidence on which you rely in support of your objection at (place) (time) on (date).

(Time)

on (date)

(Signed).....

(Designation).....

Form X

[See Rule 12]

Order of assessment

Case Number																				
Period of assessment																				
Name and Address of the registered person																				
TIN	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				
Name of Assessing Officer and designation																				
Office																				
Date of Order																				
rule with sub-rule under which assessment made and / or penalty imposed																				

PART A

Description	As per return	As per Computation	Determined
1. Gross Turnover (GTO) [Total of sub-head (i) to (iii)]			
(i) Actual receipts during the period			
(ii) Deemed receipts of concessions allowed/given on normal rates during the period			
(iii) Tax collected under the Rules			
[2. Less : deductions in respect of – [Total of sub-head (i) to (iv)]			
(iii) Tax collected under the Rules			
(iv) Any other deduction]			
3. Taxable Turnover (1-2)			

PART B : Computation of tax payable on Taxable Turnover

(Box 3 of PART A)

Name of activity	Rate of tax	Taxable Turnover		Tax
		As per return	As per Computation	Determined
1.				
Total				

PART C : Interest for Late Payment

Interest as per return/computation	Interest levied

PART D : Penalty imposed

Under rule	Penalty imposed
Total	

PART E : Details of payments by challans

Challan number	Challan date	Amount
Total		

PART F : Other credits

1. Credits of excess payments in previous quarter
2. Any other credit
3. Total (1+2)

PART G : Adjustments

1. Total amount payable (B+C+D)
2. Total payments by challans (E)
3. Total of other credits (F-3)
4. Total credit (2+3)
5. Balance Payable / Refundable
Pay by Date	Within 30 days of receipt of Order
Pay at	Madhya Pradesh Treasury.....

.....
Seal & Signature Assessing Officer

Form XI

[See Rule 17(1)(a)]

Basic information of Cinema Hall and charges

1. Name of Cinema Hall
2. Address of the Cinema Hall
3. Name of the registered person
4. Name of the Manager
5. TIN
6. Number of screens
7. Seating capacity and charge (details be given
screen-wise, if more than single screen)

Class	Number of seats	Rate	Number of shows permitted
(1)	(2)	(3)	(4)

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Place.....

Date.....

Signature

Name.....

Designation.....

Form XII

[See Rule 17(1)(b)]

Daily account of occupancy and collection of tax

1. Name of Cinema Hall
2. Address of the Cinema Hall
3. Name of the registered person
4. TIN

Date & show time	Class	Number of seats occupied	Rate	Receipts	Tax payable
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total					

Place.....

Signature.....

Date.....

Name and Designation.....

Form XIII

[See Rule 17(1)(c)]

Monthly abstract of collection and payment of tax

1. Name of Cinema Hall
2. Address of the Cinema Hall
3. Name of the registered person
4. TIN

Month	Total receipts	Total tax collected	Tax paid	Challan No. and date	Balance	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Signature

Place.....

Name.....

Date.....

Designation.....

Form XIV

[See Rule 18(1) & 19(1)]

Subscribers Card by Cable / DTH service

Name and address of Cable Television Network

*DTH Service Provider

TIN

Subscriber Identity No.

Date of issue

1. Name of subscriber

2. Full address of subscriber

House No.

Ward/Mohalla

Town

District

3. Amount of service/subscription charge

4. Signature of subscriber

5. Signature of the registered person or Manager

Form XV

[See Rule 18(1)(b)]

Register to be maintained by a cable service provider

Name of the registered person

Details of service

TIN

S. No.	Subscriber Identity No.	Name and address of subscriber	Name of service provided	Charge	Date from which service provided	Other details
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Place.....

Date.....

Signature

Name.....

Designation.....

Form XVI

[See Rule 18(1)(c)]

Monthly abstract of collection and payment of tax

Name of the registered person

Details of service

TIN

Month	Total number of subscribers	Total charges received for the service provided	Total tax collected	Tax paid	Challan No. & Date	Balance	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Signature

Place..... Name.....

Date..... Designation.....

Form XVII

[See Rule 19(2)]

Basic information of DTH service

- Name of DTH service
- Name of the registered person
- Name of the Manager
- TIN

Name of entertainment package	Charge	Remarks
(1)	(2)	(3)

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Signature

Place..... Name.....

Date..... Designation.....

Form XVIII

[See Rule 19(3)(a)]

Register to be maintained by a DTH service provider

1. Name of DTH service
2. Name of the registered person
3. Name of the Manager
4. TIN

S. No.	Subscriber Identity No.	Name and address of subscriber	Name of service provided	Charge	Date from which service provided	Other details
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Place.....

Date.....

Signature

Name.....

Designation.....

Form XIX

[See Rule 19(3)(b)]

Monthly abstract of collection and payment of tax

1. Name of DTH service
2. Name of the registered person
3. Name of the Manager
4. TIN

Month	Total number of subscribers	Total charges received for the service provided	Total tax collected	Tax paid	Challan No. & Date	Balance	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Place.....

Date.....

Signature

Name.....

Designation.....

Form XX

[See Rule 20(1)]

Basic information of Telecom service

1. Name of Telecom service provider
2. Name of the registered person
3. Name of the Manager
4. TIN

Name of entertainment	Charge	Remarks
(1)	(2)	(3)
Ring tones		
Music		
Videos		
Movies		
Animations		
Games		
Jokes		
Contest		
.....		

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Signature

Place.....

Name.....

Date.....

Designation.....

Form XXI

[See Rule 20(2)(a)]

Register to be maintained by a Telecom service provider

1. Name of Telecom service provider
2. Name of the registered person
3. Name of the Manager
4. TIN

S. No.	Telephone No.	Name and address of subscriber	Name of service provided	Charge	Date from which service provided	Other details
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Place.....

Date.....

Signature

Name.....

Designation.....

Form XXII

[See Rule 20(2)(b)]

Monthly abstract of collection and payment of tax

1. Name of Telecom service provider
2. Name of the registered person
3. Name of the Manager
4. TIN

Month	Total number of subscribers	Total charges received for the service provided	Total tax collected	Tax paid	Challan No. & Date	Balance	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Place..... Signature

Date..... Name.....

Designation.....